रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 97] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 13, 2010/चैत्र 23, 1932
No. 97] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 13, 2010/CHAITRA 23, 1932

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(पिछड़ा वर्ग प्रभाग)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2010

संकल्प

सं. 20012/10/2007-बीसीसी.—भारत सरकार ने दिनांक 6 जनवरी, 2004 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 20012/10/2003-बीसीसी के तहत गठित तथा 3 मार्च, 2005 की अधिसूचना संख्या 20012/10/2003-बीसीसी के तहत पुनर्गठित विद्यमान आरक्षण नीति के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गो के लिए आयोग को दिनांक 7-8-2008 के संकल्प में वर्णित समान विचारणीय विषयों के तहत जारी रखने और इस आयोग के कार्यकाल को 31-3-2010 से आगे 4 महीनों के लिए अर्थात् 31-7-2010 तक बढ़ाने का संकल्प लिया है।

पी. पी. मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(BACKWARD CLASS DIVISION)

New Delhi, the 13th April, 2010

RESOLUTION

No. 20012/10/2007-BCC.—The Government of India has resolved to continue the Commission for Economically Backward Classes not covered under the existing Reservation Policy constituted vide Gazette Notification No. 20012/10/2003-BCC dated 6th January, 2004 and reconstituted vide Notification No. 20012/10/2003-BCC dated 3rd March, 2005 and extend the term of the Commission for four months beyond 31-3-2010 i.e. up to 31-7-2010 under the same terms of reference as mentioned in resolution dated 7-8-2008.

P. P. MITRA, Jt. Secy.

1388 GI/2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.